(108)

# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

R 1420 I/06

घासीराम पिता नन्दराम जाति खाती
आयु 65 वर्ष धंधा खेती निवासी
ग्राम गुलवा तह. व जिला धार म.प्र. ——— निगरानीकर्ता

**बनाम**

(1) नारायण पिता बंशीधर जाति ब्राह्मण
आयु 80 वर्ष निवासी ग्राम गुलवा तह.
व जिला धार म.प्र

(2) मध्यप्रदेश शासन ——— विपक्षीगण

## निगरानी अर्ज धारा 50 भू.रा.सं. 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में अत्यंत नम्रता से निवेदन है कि ग्राम गुलवा तह. व जिला धार की भूमि सर्वे नम्बर 636, 641, 516 कुल रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा से नारायण का कोई संबंध नही है। नारायण ने दावा किया था। वह हमसे हार गया हमने इसी भूमि का प्रतिदावा किया था स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री हुई नारायण को मालूम है कि वह उस दावे में पक्षकार था रोक की आज्ञा है। हमारा कब्जा कायम रखा है। किसी भी अन्य निर्णय जिसमें नारायण के हक में डिक्री नही है। जिसकी हकरसी का राजस्व न्यायालय को हक हो गया हो ऐसा भी उल्लेख नही है। यह सब होते हुए तहसीलदार साहब नालछा टप्पा नालछा तह. धार जिला धार ने राजस्व प्रकरण दर्ज भी नही किया और क्रमांक 00/2005-06/अ-74 में आदेश दिनांक 28.03.2006, 28/2/06 06.06.2006 द्वारा मुगम्म अस्पष्ट आज्ञाऐं दी जो अवैध, विचाराधिकार रहित है, शून्य है, व्यर्थ है। जिसे अपास्त बाबद् उक्त निगरानी अर्ज निम्न आधरो पर सादर सद्भावना पूर्वक पेश है:-

R1420 I / 06 GMR

| | |
|---|---|
| 19.9.2017 अनुपस्थित आवेदक | आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई भी उपस्थित नहीं। यह प्रकरण वर्ष 2006 से लगभग 11 वर्ष से ग्राह्यता पर लंबित है, इसके बावजूद आवेदक प्रकरण के निराकरण में रुचि नहीं ले रहा है। जहां तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है, आवेदक द्वारा तहसीलदार की जिन आदेशिकाओं के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, उनमें आवेदक के प्रतिकूल होना परिलक्षित नहीं होता है। अतः निगरानी अग्राह्य की जाती है। |
| | अध्यक्ष |